"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2015—आषाढ़ 26, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति पुष्पावती राय पति श्री प्रेमनारायण, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-2 सी, सड़क 7, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 10वीं व 12वीं में मेरा नाम श्रीमति पुष्पावती देवी दर्ज है तथा मेरे पति श्री प्रेमनारायण के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमति पुष्पावती राय दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति पुष्पावती राय रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति पुष्पावती राय पति श्री प्रेमनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति पुष्पावती देवी पति-श्री प्रेमनारायण निवासी-क्वा. नं. 2 सी, सड़क 7, सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति पुष्पावती राय पति-श्री प्रेमनारायण निवासी-क्वा. नं. 2 सी, सड़क 7, सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Sajan Agrawal पिता स्व. जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी-मकान नं. 103, अग्रोहा मार्ग, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री को Swasti Bansal D/o Shri Sajan Agrawal के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा कक्षा 1 ली से 10वीं तक की अंक सूची में यही नाम दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का उपनाम परिवर्तित कर नया नाम Swasti Agrawal रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को Swasti Agrawal D/o Shri Sajan Agrawal के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

Ms. SWASTI BANSAL
D/o Shri Sajan Agrawal
Res.- House No. 103, Agroha Marg, Korba
Tehsil & Distt. Korba (C. G.)

नया नाम

Ms. SWASTI AGRAWAL
D/o Shri Sajan Agrawal
Res.- House No. 103, Agroha Marg, Korba
Tehsil & Distt. Korba (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिगम्बर लाल राठिया पिता श्री असमस सिंह, निवासी-कबीर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम दिगम्बर लाल पिता असमस सिंह दर्ज है. मेरा सरनेम राठिया एवं मेरी जाति कंवर है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम राठिया जोड़ कर नया नाम दिगम्बर लाल राठिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दिगम्बर लाल राठिया पिता स्व. असमस सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दिगम्बर लाल
पिता-स्व. असमस सिंह
निवासी-LIG-02, PWD कालोनी,
कबीरनगर, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

दिगम्बर लाल राठिया
पिता-स्व. असमस सिंह
निवासी-LIG-02, PWD कालोनी,
कबीरनगर, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चमन प्रसाद श्रेष्ठ पिता स्व. श्री संतमान श्रेष्ठ, उम्र 60 वर्ष, निवासी-डब्लू. आर. एस. कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम चमन प्रसाद संतमान श्रेष्ठ अंकित है तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र एवं अन्य शासकीय, अर्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम चमन प्रसाद श्रेष्ठ दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम चमन प्रसाद श्रेष्ठ रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे चमन प्रसाद श्रेष्ठ पिता स्व. श्री संतमान श्रेष्ठ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चमन प्रसाद संतमान श्रेष्ठ
[Chaman Prasad Santman Shrestha (Sreth)]
पिता-स्व. संतमान श्रेष्ठ
निवासी-रेल्वे क्वा. नं. 78/8, टाइप II
डब्लू आर. एस. कालोनी, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

चमन प्रसाद श्रेष्ठ
(Chaman Prasad Shrestha)
पिता-स्व. संतमान श्रेष्ठ
निवासी-रेल्वे क्वा. नं. 78/8, टाइप II
डब्लू आर. एस. कालोनी, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रमणी शुक्ला पिता श्री राजकुमार शुक्ला, उम्र 45 वर्ष, निवासी-महामाया मंदिर के पास, मुंगेली, तहसील व जिला मुंगेली (छ. ग.) हाल मुकाम मकान नं. 43, प्रथम तल, जीनत विहार, फेस 02, गणेश नगर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम चन्द्रमणी शुक्ला है जो कि मेरे थल सेना एवं छत्तीसगढ़ शासन के सेवा संबंधी अभिलेखों में दर्ज है. मेरे मैट्रिक के शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम लिपिकीय त्रुटिवश चन्द्रमणी प्रसाद दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम चन्द्रमणी शुक्ला रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे चन्द्रमणी शुक्ला पिता श्री राजकुमार शुक्ला के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चन्द्रमणी प्रसाद
पिता-श्री राजकुमार शुक्ला
निवासी-महामाया मंदिर के पास, मुंगेली
तहसील व जिला मुंगेली (छ. ग.)
पिन 495-334

नया नाम

चन्द्रमणी शुक्ला
पिता-श्री राजकुमार शुक्ला
निवासी-महामाया मंदिर के पास मुंगेली
तहसील व जिला मुंगेली (छ. ग.)
पिन 495-334

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति जी. धनलक्ष्मी ध. प. श्री जी. कामैथ्या राव, उम्र 53 वर्ष, पेशा गृहणी, निवासी-क्वाटर नं. 1 बी, सड़क 17, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के बी. एस. पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमति जी. धन लक्ष्माम्मा दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति जी. धनलक्ष्मी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति जी. धनलक्ष्मी ध. प. जी. कामैथ्या राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति जी. धन लक्ष्माम्मा पति-श्री जी. कामैथ्या राव निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क 17, सेक्टर 7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति जी. धनलक्ष्मी पति-श्री जी. कामैथ्या राव निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क 17, सेक्टर 7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

प्ररुप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए.]

क्रमांक/783/वाचक-1/2015.—यह कि श्री उत्तम कुमार व्यापारी आ. अनिल व्यापारी निवासी सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26-03-2015 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं एन. एस. भगत अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26-03-2015 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	मॉ दुर्गेश्वरी ट्रस्ट सुभाषनगर, बनारस रोड, तहसील अम्बिकापुर सरगुजा
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये-10,000.00 (दस हजार रुपये)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एन. एस. भगत,
पंजीयक .

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 3 जुलाई 2015

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/1835/प्र. 2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि विजय कुमार अग्रवाल चेयरमेन, निवासी दीपकनगर ट्रस्टी "NIRVANA EDUCOM" पब्लिक ट्रस्ट दुर्गा भवन दीपक नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा "NIRVANA EDUCOM" पब्लिक ट्रस्ट दुर्गा भवन दीपक नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया गया कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-07-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"NIRVANA EDUCOM" पब्लिक ट्रस्ट दुर्गा भवन दीपक नगर दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	100000-00 एक लाख रुपये
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,
पंजीयक .

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ. ग.)

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/371.—जय छत्तीसगढ़ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. रावड़ पं. क्र. 2486, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/100 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन जय छत्तीसगढ़ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. रावड़ पं. क्र. 2486 वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/372.—रूद्रेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. पेन्ड्रा पं. क्र. 2504, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/102 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन रूद्रेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. पेन्ड्रा पं. क्र. 2504, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/373.—पंचमुखी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. फिंगेश्वर पं. क्र. 2579, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/105 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन पंचमुखी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. फिंगेश्वर पं. क्र. 2579, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/374.—लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. रक्शा पं. क्र. 2634, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/119 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. रक्शा पं. क्र. 2634, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/375.—मां रत्नादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. मुढ़ीपानी पं. क्र. 2513, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/103 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन मां रत्नादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. मुढ़ीपानी पं. क्र. 2513, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्री एस. एल. पटेल सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. छुरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/376.—भुतेश्वरनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. करकरा पं. क्र. 2594, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/106 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन भुतेश्वरनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. करकरा पं. क्र. 2594, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्री एस. एल. पटेल सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. छुरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/377.—ओम हरि प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. कुटेना पं. क्र. 2606, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/110 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन ओम हरि प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. कुटेना पं. क्र. 2606, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एल. पटेल सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. छुरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/378.—श्री गणेश महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. बिरनीबाहरा पं. क्र. 2637, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/120 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन श्री गणेश महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. बिरनीबाहरा पं. क्र. 2637, वि. ख. छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एल. पटेल सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. छुरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/379.—चन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. माहुलकोट पं. क्र. 2602, वि. ख. देवभोग, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/108 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन चन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. माहुलकोट पं. क्र. 2602, वि. ख. देवभोग, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/380.—आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. नवापारा पं. क्र. 2620, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/113 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. नवापारा पं. क्र. 2620, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. मैनपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/381.—जयदेव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. गंगराजपुर पं. क्र. 2611, वि. ख. देवभोग, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/111 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन जयदेव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. गंगराजपुर पं. क्र. 2611, वि. ख. देवभोग, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/382.—जय जगदीश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. सुकलीभाठा पं. क्र. 2622, वि. ख. देवभोग, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/114 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन जय जगदीश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. सुकलीभाठा पं. क्र. 2622, वि. ख. देवभोग, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/383.—मां दन्तेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. चिखली पं. क्र. 2627, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/115 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन मां दन्तेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. चिखली पं. क्र. 2627, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. मैनपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/384.—जय मां रांदलदेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. डूमरबाहरा पं. क्र. 2514, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/104 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन जय मां रांदलदेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. डूमरबाहरा पं. क्र. 2514, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर उप-अंकेक्षक गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/385.—सुनामी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. बोईरगांव पं. क्र. 2630, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/116 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन सुनामी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. बोईरगांव पं. क्र. 2630, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर उप-अंकेक्षक गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/386.—मां दन्तेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. जंगलधवलपुर पं. क्र. 2631, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/117 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन मां दन्तेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. जंगलधवलपुर पं. क्र. 2631, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर उप-अंकेक्षक गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/387.—साई कृपा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. कोदोभाठा पं. क्र. 2732, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/118 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन साई कृपा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. कोदोभाठा पं. क्र. 2732, वि. ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर उप-अंकेक्षक गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/388.—उदन्ती प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. जाड़ापदर पं. क्र. 2599, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/107 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन उदन्ती प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. जाड़ापदर पं. क्र. 2599, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर उप-अंकेक्षक गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक/सपंग/परिसमापन/2015/389.—जय गुरूदेव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. खोखमा पं. क्र. 2605, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/109 दिनांक 17-03-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन जय गुरूदेव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. खोखमा पं. क्र. 2605, वि. ख. मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर उप-अंकेक्षक गरियाबंद को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बी. आर. कंवर,
सहायक पंजीयक .

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थायें मर्या. बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2015

क्रमांक/क्यू/2015/परिसमापन.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावें मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होनें वाले दावें मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हों तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	को-आप. ईम्प्लाईज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	409	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर
2.	एस. एस. साख सहकारी समिति मर्या. गोलबाजार बिलासपुर	149	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर
3.	गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारीगोढी	125	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर
4.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कोरबी	3866	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक/क्यू/2015/परिसमापन.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावें मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होनें वाले दावें मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हों तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा	112	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर

अरूण कुमार शर्मा,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.